E-mail.

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/ई-अनुज्ञा/विविध/2023/2939 भोपाल, दिनांक 13/07/2023

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय — इंदौर।

विषय : कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर अंतर्गत जिंस केला के मैन्युअल अनुज्ञा जारी करने की प्रक्रियां को बंद कराने के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय भोपाल से जारी परिपत्र क्रमांक/एमडी/मंडी बोर्ड/पीए/ई-अनुज्ञा/518, भोपाल दिनांक 16.08.2019, क्रमांक बी-6/नियमन/ई-अनुज्ञा/2019-20/1218, भोपाल दिनांक 16.08.2019 तथा क्रमांक बी-5/2/ई-अनुज्ञा/2019-20/1237, भोपाल दिनांक 26.09.2019।

आप भलीभांति परिचित है कि दिनांक 16/08/2019 से ई-अनुज्ञा पत्र प्रणाली क्रियाशील है। इसके संबंध में पूर्व से विभिन्न दिशा निर्देश समय समय पर जारी किये जाते रहे है। इन निर्देशों के अनुपालन में किसी भी तरह के शंका की स्थिति नहीं है।

2. किंतु इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर अंतर्गत जिंस केला के अनुज्ञा मैन्युअल आधार पर जारी किये जा रहे है। यह सर्वथा अनुचित है।

3. उक्त अनुचित प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना सुनिश्चित करें। सभी अनुज्ञा ऑनलाइन ही जारी हो, इसे सुनिश्चित करें।

4. उक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया जा सकेगा।

(गौतम सिंह)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/ई-अनुज्ञा/विविध/2023/2950 भोपाल, दिनांक 13/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल।

2. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय — भोपाल/ उज्जैन/ ग्वालियर/ सागर/ जबलपुर/ रीवा। मैन्युअल अनुज्ञा का प्रयोग यदि किसी कृषि उपज मंडी में हो रहा हो तो तत्काल प्रभाव से रोक लगाना सुनिश्चित करें।

3. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल। Website पर एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर अपलोड कराएं।

4. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति - (समस्त)। उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

5. गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

batham journal 07